

इंड डिजी केसीसी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	डिजिटल केसीसी प्राप्त करने के लिए पूर्व अपेक्षाएं क्या हैं?	ए. आवेदक इंडियन बैंक का मौजूदा ग्राहक होना चाहिए। बी. ग्राहक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। सी. बैंक के रिकॉर्ड में पैन अपडेट होना चाहिए। डी. मोबाइल नंबर बैंक में पंजीकृत होना चाहिए। ई. सीआईएफ, ई-केवाईसी/री-केवाईसी से सत्यापित होना चाहिए। एफ. इंडियन बैंक/अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में कोई चालू केसीसी नहीं होना चाहिए। जी. इंडियन बैंक/अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में कोई एनपीए खाता नहीं होना चाहिए। एच. हमारे बैंक/अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में कोई "राइट-ऑफ/सेटल्ड" स्थिति वाला बंद खाता नहीं होना चाहिए। आई. सिबिल/क्रिफ स्कोर क्रमशः न्यूनतम 730 और 717 होना चाहिए। जे. आवेदक का भू-जोत "वैयक्तिक" क्षमता में होनी चाहिए। के. आवेदक का नाम संबंधित राज्य सरकार के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज नाम से मेल खाना चाहिए। वर्तमान में, इंडियन बैंक डिजिटल केसीसी केवल तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों में उपलब्ध है।
2.	इस सुविधा के माध्यम से अधिकतम कितनी ऋण राशि प्राप्त की जा सकती है?	वर्तमान में, यह सुविधा रु. 2.00 लाख (5वें वर्ष की सीमा) तक केसीसी के लिए उपलब्ध है। तथापि, ग्राहक उच्चतर सीमा ऑफ़लाइन माध्यम से प्राप्त करने के लिए अपनी होम ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं।
3.	मुझे अपना सीआईएफ नंबर याद नहीं है।	सीआईएफ नंबर बचत बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ पर अंकित होती है। अन्य विकल्प के रूप में, ग्राहक अपना बचत खाता संख्या प्रविष्ट कर सकते हैं। तथापि, यदि बचत खाता संयुक्त नाम पर है, तो ऋण आवेदन पहले (प्राथमिक) ग्राहक के नाम से किया जाएगा।
4.	मेरा मोबाइल नंबर बैंक रिकॉर्ड में पंजीकृत नहीं है। क्या मैं डिजिटल केसीसी ऋण प्राप्त कर सकता हूँ?	डिजिटल केसीसी प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है। कृपया मोबाइल नंबर पंजीकृत कराने के लिए होम ब्रांच जाएं।
5.	मुझे संदेश प्राप्त हो रहा है कि मेरा पैन बैंक में दर्ज नहीं है।	कृपया बैंक के रिकॉर्ड में पैन अपडेट करने के लिए होम ब्रांच जाएं।
6.	मुझे संदेश प्राप्त हो रहा है कि मेरा सीआईएफ, ई-केवाईसी से सत्यापित नहीं है।	कृपया ई-केवाईसी सत्यापन/री-केवाईसी के लिए होम ब्रांच जाएं।
7.	मुझे रु. 3 लाख का फ़सल ऋण चाहिए। क्या मैं इसे डिजिटल केसीसी जर्नी के माध्यम से प्राप्त कर सकता हूँ?	वर्तमान में इंड डिजी केसीसी के अंतर्गत ऋण राशि अधिकतम ₹2.00 लाख तक सीमित है। ग्राहक उच्चतर सीमा ऑफ़लाइन माध्यम से प्राप्त करने के लिए अपनी होम ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं।

8.	उदाहरणस्वरूप, मैं सेलम जिले में अपनी पैतृक भूमि पर खेती करता हूँ। परन्तु सरकारी रिकॉर्ड में यह ज़मीन अभी भी मेरे दिवंगत पिता के नाम पर दर्ज है। क्या मैं डिजिटल केसीसी का लाभ उठा सकता हूँ?	नहीं। डिजिटल केसीसी केवल सरकारी भूमि अभिलेखों में ग्राहक के नाम पर अधिसूचित भूखंडों के सापेक्ष ही उपलब्ध है। ग्राहक ऑफ़लाइन मोड से ऋण प्राप्त करने के लिए संबंधित दस्तावेज़ों के साथ अपनी होम ब्रांच में जा सकते हैं।
9.	मैं पहले से ही इंडियन बैंक से केसीसी सुविधा का लाभ उठा रहा हूँ। क्या मैं एक और केसीसी के लिए आवेदन कर सकता हूँ?	नहीं। इस डिजिटल केसीसी का लाभ ग्राहक द्वारा उठाया जा सकता है यदि उनके पास इंडियन बैंक या किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था में कोई चालू केसीसी खाता न हो।
10.	क्या मुझे इस डिजिटल केसीसी सुविधा के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति प्रदान करने की आवश्यकता है?	नहीं। रु. 2.00 लाख तक की केसीसी सुविधा के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है।
11.	क्या इस डिजिटल केसीसी सुविधा के लिए किसी पृथक मार्जिन की आवश्यकता है?	नहीं।
12.	क्या डिजिटल केसीसी जर्नी के लिए कोई प्रसंस्करण शुल्क देना अपेक्षित है?	इस जर्नी के लिए कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाएगा। तथापि, अन्य शुल्क जैसे सीआईसी सत्यापन, डिजिटल दस्तावेज़ीकरण और संबंधित राज्यों के लिए स्टाम्प शुल्क वास्तविक आधार पर लिए जाएंगे।
13.	मेरी कृषि भूमि 06 सर्वेक्षण संख्याओं में फैली हुई है। क्या मैं इन 06 सर्वेक्षण संख्याओं के आधार पर कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हूँ?	वर्तमान में, ऋण राशि निर्धारण हेतु डिजिटल केसीसी ऋण के लिए अधिकतम 5 भूखंडों को जोड़े जा सकते हैं।
14.	डिजिटल केसीसी सुविधा का लाभ उठाने के विभिन्न तरीके क्या हैं?	ग्राहकों के लिए डिजिटल केसीसी इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध है या इंडियन बैंक की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
15.	क्या मुझे डिजिटल रूप से खोले गए केसीसी का संस्वीकृति पत्र प्राप्त हो सकता है?	हां, प्रक्रिया पूरी होने के बाद संस्वीकृति पत्र, प्रमुख तथ्य विवरण और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों को प्राधिकृत बैंक अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर सहित डाउनलोड किया जा सकता है।
16.	मेरा मोबाइल नंबर बैंक रिकॉर्ड में पंजीकृत है, लेकिन आधार से लिंक नहीं है। क्या मैं डिजिटल केसीसी सुविधा का लाभ उठा सकता हूँ?	डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन हेतु आधार ओटीपी प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा होना चाहिए।
17.	मेरे दो अलग-अलग मोबाइल नंबर क्रमशः बैंक सीआईएफ और आधार से लिंक किया गया है। क्या मैं डिजिटल केसीसी सुविधा का लाभ उठा सकता हूँ?	हाँ। परन्तु डिजिटल जर्नी और डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन दोनों के लिए ओटीपी जनरेशन हेतु दोनों मोबाइल नंबर उपलब्ध होने चाहिए।
18.	XYZ बैंक से लिया गया मेरा ऋण एनपीए हो गया है, लेकिन इंडियन बैंक में मेरा कोई अतिदेय खाता नहीं है। क्या मैं डिजिटल केसीसी सुविधा का लाभ उठा सकता हूँ?	नहीं। क्रेडिट का इतिहास क्रेडिट ब्यूरो से प्राप्त किया जाएगा, और यदि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कोई एनपीए/राइट ऑफ/सेटलड खाता दृष्टिगत होता है, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

19.	मैं अनजाने में फसल बीमा के लिए ऑफ आउट विकल्प का चयन कर लिया हूँ, लेकिन अब मैं पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस फसल बीमा योजनाओं का लाभ उठाना चाहता हूँ। क्या मैं अपने विकल्प में बदलाव कर सकता हूँ?	ऐसे मामलों में, ग्राहक को समय-समय पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा घोषित विशेष फसल/मौसम के लिए नामांकन कट-ऑफ तिथि से कम से कम 15 दिन पहले होम ब्रांच से संपर्क करना होगा।
20.	मैं डिजिटल जर्नी फसल बीमा (पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस) प्राप्त करने के लिए 'ऑफ इन' विकल्प का चयन किया हूँ। क्या मेरी फसलें इस योजना के अंतर्गत स्वतः ही कवर हो जाएंगी?	फसल बीमा के लिए अधिदेश आपके चयन के आधार पर नोट किया जाएगा। यद्यपि, संबंधित मौसम में बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी होने के 3 दिनों के भीतर, लेकिन नामांकन की कट-ऑफ तिथि से 2 दिन पहले तक शाखा से संपर्क किया जा सकता है। बीमा प्रीमियम डेबिट करने के लिए ग्राहकों को केसीसी खाते में पर्याप्त राशि रखनी होगी।
21.	डिजिटल केसीसी ऋण हेतु ब्याज दर क्या होगी?	वर्तमान में, केसीसी के लिए भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना के अनुसार, रु. 3.00 लाख तक की राशि के लिए बैंक द्वारा निर्धारित नवीनीकरण की नियत तिथि तक या संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष तक, जो भी पहले हो, पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा। यह लाभ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर केसीसी के लिए ब्याज अनुदान योजना जारी रहने के अध्यक्षीन उपलब्ध होगा। यदि बैंक द्वारा निर्धारित नवीनीकरण की नियत तिथि के भीतर या स्वीकृति की तिथि से 1 वर्ष के भीतर खाते का पुनर्भुगतान (अद्यतन ब्याज सहित)/नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो लागू कार्ड दरों पर वर्तमान में एमसीएलआर (1 वर्ष) + स्प्रेड (2.50%) प्रति वर्ष के अनुसार ब्याज लिया जाएगा।
22.	यदि ऋण डिजिटल माध्यम से लिया जाता है तो क्या किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लागू त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) भी प्रदान किया जाएगा?	हाँ। डिजिटल माध्यमों से खोले गए केसीसी के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार त्वरित चुकौती प्रोत्साहन उपलब्ध होगा। यह लाभ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर केसीसी के लिए ब्याज अनुदान योजना जारी रखने के अध्यक्षीन उपलब्ध होगा।
23.	मैंने डिजिटल केसीसी सुविधा का लाभ उठाया है और मेरे बचत बैंक खाते में पहले वर्ष की सीमाएँ रिलीज कर दी गई हैं। क्या मुझे दूसरे वर्ष के लिए दस्तावेज़ निष्पादन हेतु शाखा में जाना होगा?	केसीसी सीमा, दस्तावेज़ों सहित 5 वर्षों के लिए संस्वीकृत किया गया है, जो वार्षिक नवीनीकरण के अध्यक्षीन है। दूसरे वर्ष से, ग्राहक अपनी सुविधानुसार अपने खाते के नवीनीकरण के लिए डिजिटल (केसीसी डिजिटल नवीनीकरण) या शाखा माध्यम का चयन कर सकते हैं।